# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

नेमीचन्द बनाम सरकार

...ा /वर्ष

: 69 /2020

| ...नांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | दावा पेश हुई। समस्त वादीगण पक्षकारान मय अधिवक्ता श्री अजयसैनीजी एवं श्री बंशीधरजी जाट उपस्थित। वादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र - वादपत्र वापस कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत - दिनांक 25/2/2021 को पेश किया गया। प्रार्थनापत्र मय पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वाद 13/10/2011 को दर्ज रजिस्टर हुआ तथा 7/6/2018 का इसी न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया जिसकी अपील RAA, जयपुर पेश की गई। दिनांक 10/9/2020 को श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी RAA, जयपुर ने इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 7.6.2018 को निरस्त करते हुए प... पुन: सुनवाई ... remand किया था। इसी ... के क्रम मे पत्रावली 10.9.2020 को पुन: दर्ज हुई तथा पक्षकारान को जरिये कोर्ट नोटिस सूचना भेजी। | |

सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | | इसी क्रम में पत्रावली 5.12.2020 से साक्ष्य वादी हेतु नियत थी। आज दिनांक 25.2.2021 को उपरोक्त समस्त वादीगण द्वारा जरिये वाद वापस लेने हेतु प्रार्थनापत्र निवेदन किया जिसमें यह उल्लेखित किया कि "यह वादपत्र घोषणा का राज्यसरकार के विरुद्ध है, जिसके लिए वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा-80(2) CPC का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो सहवन से वादीगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे वादी० के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।" प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण वादपत्र वापस लेकर धारा-80(2) CPC का नोटिस राज्यसरकार को देने के पश्चात नया वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं [illegible] गया [illegible] वादपत्र को वापस किये जाने व नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है।" |

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सांगानेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

# फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

नेमीचन्द बनाम सरकार

ख्या /वर्ष : 69 /2020

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | पत्रावली मय प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया तथा पाया कि उपरोक्त वाद वादीगण बनाम सरकार ही था जिसमें वादीगण को लगभग 10 वर्ष पश्चात ये ज्ञात हुआ कि राजस्थान सरकार को धारा 80(2) CPC का नोटिस नहीं दिया गया तथा इसी को आधार बनाकर वाद वापस लेना (withdrawal) चाहते हैं वो भी - नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ। अतः न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र को ~~मात्र~~ आंशिक रूप से मात्र वादपत्र वापस करने की अनुमति बाबत स्वीकार करती है। परंतु नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं करती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner